न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — दाताराम, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 40/अपील–प्रापत्र 14(4)/18 — तारीख दायरा 08.02.18

1. आनन्दीलाल आ0 श्री रतनलाल आयु 85 वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम तारज तहसील खानपुर।
2. रामकिशन आ0 श्री राधाकिशन आयु 80 वर्ष जाति धाकड़ निवसी ग्राम तारज तहसील खानपुर
3. राजेन्द्र प्रसाद आ0 श्री घांसीलाल आयु 45 वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम तारज तहसील खानपुर।
4. हुक्मचद आ0 घांसीलाल जाति धाकड़ निवासी निवासी तारज तहसील खानपुर

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. श्री हुक्मचन्द आयु 55 वर्ष पिसरान गणेश जाति धाकड़ निवासी ग्राम तारज तहसील खानपुर।
2. श्री दीचन्द आयु 43 वर्ष पिसरान गणेश ज़ाति धाकड़ निवासी निवासी ग्राम तारज तहसील खानपुर।
3. श्रीमति लाड़ कुंवर आयु 52 वर्ष पुत्री गणेश पत्नि श्री जगदीश धाकड़ निवासी सावनभादो तहसील कनवास जिला कोटा।
4. श्रीमति गायत्री आयु 48 वर्ष पुत्री गणेश पत्नि लेखराज जाति धाकड़ निवासी ग्राम साकली पोस्ट सेमली तहसील बारां
5. श्रीमति मोहनीबाई आयु 40 वर्ष पुत्री गणेश पत्नि गोकुल जाति धाकड़ निवासी दीगोद खालसा तहसील छीपाबडोद जिला बारां।
6. श्रीमति भूलीबाई पत्नि श्री गणेश आयु 80 वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम तारज तहसील खानपुर।
7. भूमि आवंटन सलाहकार समिति खानपुर तहसील खानपुर।

अप्रार्थीगण.....

<u>प्रार्थना पत्र रूल्स 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन दिनांक 29.09.77 निरस्त किये जाने।</u>

उपस्थितः– 1. सुश्री भगवती, वकील प्राथीगण
2 श्री बद्रीलाल माहेश्वरी, वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णयः– दिनांकः 04.12.2019

यह प्रा0पत्र प्राथीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 29.09.17 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। प्रा0पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 154 की 4 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 8 की 1 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम दौलतपुरा

तहसील खानपुर को आवंटन सलाहकार समिति खानपुर ने अप्राथीगण 1 लगायत 5 के पिता व अप्रार्थी कम सं0 6 के पति श्री गणेश आ0 धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी तारज को आवंटित की गई जिसका इन्तकाल नं0 30 तस्दीक किया गया–गणेश की मृत्यु हो चुकी है, उसके वारिसान अप्रार्थी क0स0 1 लगायत 6 है जिनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है–गणेश को आराजी आवंटन करते समय आवंटन नियमों की अवहेलना करके धोखे से व गलत तथ्यों के आधार पर किया गया है–आवंटन सलाहकार समिति ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नही दिया है कि वो आराजी गणेश को आवंटन की गई है उस पर न तो उसका आवंटन के समय कब्जा था न आज कब्जा है–आराजी पर आनन्दीलाल व राधाकिशन का कब्जा था, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल संलग्न है,–कब्जाधारी राधाकिशन की भी मृत्यु हो गई है–अब उसके वारिसान आराजी पर काबिज है प्रार्थी 2 लगायत 4 है–माननीय भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि गणेश भूमिहिन कृषक की श्रेणी में नही आता है उसके खाते में पहले से ही 25 बीघा आराजी है यह तथ्य पटवारी ने जानबूझकर छिपाये है, आवंटित भूमि पर प्राथीगण व उनके पिता का आवंटित भूमि पर लगातार वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, आवंटन से पूर्व उनको नोटिस दिया जाना चाहिये था। अतः प्रा0पत्र पेशकर निवेदन है कि दिनांक 29.09.77 को गणेश के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त किया जाकर उक्त आराजी राज्य सरकार में ली जावे।

प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्राथीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल माहेश्वरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया–दौराने बहस वकील उभय पक्ष उपस्थित हुये विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अनुरोध किया गया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन के समय इस तथ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नही दिया गया कि गणेश भूमिहीन कृषक की श्रेणी में भी आता है या नही एवं उक्त भूमि किस के कब्जे काश्त में है, दौराने बहस आर0आर0डी0 अक्टूबर 2007 के पेज सं0 719–723 प्रस्तुत कर अप्राथीगण को दिनांक 29.09.77 को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु कहा गया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस अनुरोध किया गया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों को दृष्गित रखते हुवे विधि अनुरूप प्रकियानुसार अप्रार्थीगण को भूमि का आवंटन किया गया है, जिस पर अप्रार्थीगण को कई वर्षो से खातेदारी अधिकार प्राप्त है, इस संबंध में दौराने बहस आरआरटी 2018(2) पेज सं0 1007–1010, आरआरटी 2018 (1)पेज सं0 299–306, आरआरटी 2018 (1)पेज सं0 285–289 एवं आरआरडी 14.07.08 पेज सं0 454–458, आरआरडी फरवरी 2007 पेज सं0 102–107 प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उक्त प्रा0पत्र पेश किया गया है जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही बहस विद्वान अभिभाषकगण पर मनन किया गया भूमि आवंटन की पंजिका में सरपंच ग्राम पंचायत मालनवासा, तहसीलदार खानपुर एवं उपखण्ड अधिकारीगण आदि के हस्ताक्षर हो रहे है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को भूमिहीन नही होना बता रहा है, परन्तु इसका स्पष्ट खण्डन नही किया है, जो रेकार्ड से भी पूर्ण रूप से साबित नही है–विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आर0आर0डी0 अक्टूबर 2007 पेज सं0 719–723 जो प्रस्तुत की गई वह fraud and misrepresentation के आधार पर खारिज होने की दी है, जो यहाँ चस्पा नही होती है। आवंटन नियमो के अनुसार अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है–आवंटी द्वारा भूमि आवंटन कराने में किसी प्रकार की कोई कपटपूर्ण कार्यवाही अथवा किसी प्रकार का कोई fraud and misrepresentation नही किया गया है, विधिवत आवंटन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवंटन कराया गया है। हमारी सुविचारित राय के अनुसार किसी प्रकार

की तकनीकी खामी के आधार पर लगभग 42 वर्ष पुराने आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई न्यायोचित आधार हमारे समक्ष नही है।

यद्यपि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नही है, किन्तु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आवंटन के लगभग 42 वर्ष की असाधारण देरी से प्रस्तुत किया गया है जिसका भी कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नही किया गया है। इस प्रकार के आवंटन को केवल मात्र मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्राड के आधार पर ही खारिज किया जा सकता है–प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे इस बाबत भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.12.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(दाताराम)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2019.12.10 14:50:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: